

न्यायालय उप जिला कलेक्टर महवा जिला दौसा

मु.सं. 63 / 2022

~~एरिओम्स~~ बनाम रामकृष्ण काँठ
दावा

दिनांक 13.7.22

यह वाद पत्र वादी की ओर से श्री धर्मसिंह राजपूत एडवोकेट ने प्रस्तुत किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 22.7.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

दिनांक 22.7.22
आज पत्रावली पेश हुई। वकील काँठ पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर पधारें हैं। पत्रावली पूर्वावुसार दिनांक 8.8.22 को पेश हो।
रीडर

08.8.22 आज पत्रावली पेश हुई। वकीलों ने कार्य स्थापित कर रखा है। पत्रावली वास्ते 13.8.22 को पेश है। श्रीमान पी.ओ. साहब बाहर है।

13.8.22 आज पत्रावली राष्ट्रिय लोक अदालत हेतु तलब की गयी। पक्षकारान के मध्य राजीनामा होना श्री धर्मसिंह राजपूत एडवोकेट द्वारा अकार करार लेकिन पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली वाले राजीनामा दिनांक 17.8.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

Not Press 17.8.22

3
12/8/22

आज पत्रावली पैसा हुई।

वकील बंदी उपस्थित। वकील
बंदी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
किया जाकर अकारा करमा है
कि पक्षकारान के मध्य आपसी
सहमति से, लोक अदालत की भावना
से राजीनामा हो गया है। वकील
बंदी द्वारा दावा Not-Press किया
है। अतः बंदी का वादपत्र Not-Press
किये जाने के कारण रखाज किया
जाता है। पत्रावली फेलत सुमार
होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा